


दिनांक

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए


10-7-24

याद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर
विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 26-7-24 को
पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर माण्डल

26/7/24

पत्रावली पेश हुई क्लीक पार्टी उपस्थित, विपक्षीगण
के सम्मन वास तमिल लेकर प्राप्त हुए जिले शां क
लिपे गये। विपक्षीगण को कितकी मर्तवा के रुक करवाने
पिलायी जाने के बाद भी अनुपस्थित। इनके विरुद्ध एक तरफ
कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाना है क्लीक पार्टी
को शां क स्वीकार दिया जाकर निर्यय प्रपक से विस्था
पाकर शां क किया गया। पत्रावली फेराल शुभद लेकर
अम्बर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलयाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीछासीन अधिकारी- मनोज, आर.ए.एस.

मुक्तदमा संख्या - 262/24 प्रा० पत्र

1- श्री बालशंकर सोडा कीर्ति निवासी भाठल तहसील भाठल

भाषा

सनाम

1- श्री जगदीश सोधी सुधर निवासी, अरवारा-बाँड़ भाठल तहसील भाठल (प्रहलोकित प्राणदाससमक्ष)

दिनांक

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-120 रा.गू.स.अधि. 1950

दिनांक- 26.7.24

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-120 रा.गू.स.अधि. 1950 के तहत प्रस्तुत कर विवेचन किया कि ग्राम भाठल पटवार हल्का भाठल 1 तहसील माण्डल में उसकी खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं० 4511, 4578, 4580 कुल कित्ता 03 एकबा 0.4300 हेक्टेयर स्थित है। चादग्रस्त भूमि के विपक्षीयता के मध्य आराजी मुतदायिका के सीमा रिन्ड नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगद्दी के आदेश प्रदान कराये जायें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 10.7.24 को पंजीयत किया जाकर प्रकरण की अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि चादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कच्चे कास्त कास्त की होने से पत्थरगद्दी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी विचारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र रवीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-120 रा.गू.स.अधि. 1950 का रवीकार किया जाकर ग्राम भाठल पटवार हल्का भाठल 1 तहसील माण्डल में उसकी खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं० 4511, 4578, 4580 कुल कित्ता 03 एकबा 0.4300 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुष्टता जांचकासे किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू-आगलेख निरीक्षण भाठल को 500 रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पढाकरण की मौजूदगी में भी कच्चे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए सुरतकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जायें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगद्दी नहीं की जायें।

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा शशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा